कार्यालय नगर परिषद्, खगड़िया

बन्दोवस्ती सूचना (2017-18)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खगड़िया नगर परिषद, क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 (01.04.2017 से 31.03.2018 तक) के लिए बलुआही बस स्टैण्ड, मांस, मछली बाजार (फेरी सहित), टिन टिकट (रिक्शा, ठेला, टमटम, बैलगाड़ी एवं लदना घोड़ा), अघोड़ी स्थान बलुआही स्थित तेरह आम पेड़ एवं बलुआही तीन मुहानी के पास भारी वाहन पार्किंग की बन्दोवस्ती खुला डाक द्वारा नगर परिषद्, खगड़िया में अद्योहस्ताक्षरी के कक्ष में नीचे अंकित तिथि, समय, एवं डाक की शर्त्तो के अधीन की जायेगी।

बन्दोवस्ती का विवरण

क0	डाक का विवरण	वसूली की निर्धारित दर	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
1.	बलुआही बस स्टैण्ड	1. बस– 32 रूपया प्रति ट्रिप 2. टाटा/मैक्सी 26 रूपया प्रति ट्रिप 3. जीप/सवारी/मैजिक– 17 रूपया प्रति ट्रिप 4. मीनीडोर/टैम्पु– 9 रूपया प्रति ट्रिप	4008900/-	400890/.	दिनांक 29.03.2017 को अपराह्न 2:00 बजे दिन में । उक्त तिथि को किसी कारणवश डाक का निर्णय नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 30.03.2017 एवं 31.03.2017 को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर की जायेगी।
2.	मांस मछली बाजार (फेरी सहित)	1. मछली प्रति बड़ा टोकरी– 20 रूपया प्रति टोकरी प्रतिदिन 2. मछली प्रति छोटा टोकरी– 14 रूपया प्रति टोकरी प्रतिदिन 3. बकरा/बकरी– 20 रूपया प्रति बकरा/बकरी प्रतिदिन 4. अंडा 12 रूपया प्रति ठेला प्रतिदिन 5. मुर्गा दुकान– 20 रूपया प्रति दुकान प्रतिदिन	1209800/-	120980/-	
3.	टिन टिकट	1. रिक्शा– 31 रूपया प्रति टिकट प्रति वर्ष 2. टमटम– 31 रूपया प्रति टिकट प्रति वर्ष 3. लदना घोड़ा– 31 रूपया प्रति टिकट प्रति वर्ष 4. ठेला– 31 रूपया प्रति टिकट प्रति वर्ष 5. ई–रिक्शा – 50 रूपया प्रति माह 6. यांत्रिक ठेला– 50 रूपया प्रति माह	212129/-	21220/-	
4.	अघोड़ी स्थान बलुआही स्थित तेरह आम पेड़ की बन्दोवस्ती		7000/-	700/-	
5.	बलुआही तीन मुहानी के पास भारी वाहन पार्किंग		204000/-	20400/-	

Recevd for Publ. 24/03/17

डाक की शर्त्त :–

1. डाक में भाग लेनेवाले व्यक्तियों को नगर परिषद्, खगड़िया का सैरात का बकायेदार नहीं होना चाहिए।
2. डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ता को डाक प्रारंभ होने के निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व तक निर्धारित जमानत की राशि कोषपाल, नगर परिषद्, खगड़िया के पास जमा करना होगा,

जो डाक की समाप्ति के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता को नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा।

3. जो डाक्वक्ता उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक के तुरंत बाद डाक की आधी राशि जमा नहीं करते तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. नगर परिषद्, खगड़िया द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही बन्दोवस्तदार द्वारा शुल्क की वसूली, रसीद निर्गत कर डाक प्राप्तकर्ता द्वारा किया जायेगा।
5. सफल डाकवक्ता को 3 प्रतिशत की राशि के स्टाम्प पर एकरारनामा करना होगा।
6. किसी भी डाक की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. डाकवक्ता पूर्व में किसी विभाग का बकायादार न हो, इस आशय का शपथ–पत्र डाक के समय देना होगा।
8. उच्चतम डाकवक्ता द्वारा डाक के तुरंत बाद आधी राशि जमा करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जायेगा।
9. आचरण प्रमाण–पत्र डाक के समय प्रस्तुत करना होगा।

ह० —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगड़िया।

ज्ञापांक ....दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव –सह– निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह० —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगड़िया।

ज्ञापांक ....दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– श्री मनोहर कुमार यादव, नगर सभापति –सह– पीठासीन पदाधिकारी, सशक्त स्थायी समिति/श्री राजकुमार फोगला, नगर उपसभापति –सह– सदस्य, सशक्त स्थाई समिति/श्री सुनील कुमार पटेल, सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/श्री रूस्तम अली,सदस्य, स्थायी समिति/श्री विजय कुमार यादव, सदस्य, सशक्त स्थायी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगड़िया।

ज्ञापांक ...1193......दिनांक..........................

प्रतिलिपि :–श्री अमन कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि बन्दोवस्ती की सूचना को खगड़िया के बेबसाईट **http:/khagaria.bih.nic.in** पर अपलोड करने एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

16/3/17

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, खगड़िया।

16/3/17